UPLK010052332026

न्यायालय SPL.JUDGE(SC/ST ACT), Lucknow

पीठासीन अधिकारी– (Neetu Pathak), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06198**

Criminal Misc. Cases/584/2026

जागेश्वर पुत्र पूरनमासी आयु लगभग 56 वर्ष निवासी ग्राम गनेशखेड़ा थाना निगोंहा, लखनऊ।

बनाम

1–दिलीप यादव पुत्र गंगाराम आयु लगभग 35 वर्ष,
2–रवीन्द्र यादव पुत्र हरपाल आयु लगभग 35 वर्ष,
3–राम सिह पुत्र राजाराम आयु लगभग बालिग,
4–सुशील पुत्र चन्द्रिका आयु लगभग 38 वर्ष
5–ताराचन्द्र पुत्र चन्द्रिका आयु लगभग 45 वर्ष,
6–प्रदीप यादव पुत्र चन्द्रिका आयु लगभग 35 वर्ष,
7–जयचन्द्र यादव पुत्र चन्द्रिका आयु लगभग 48 वर्ष,
8–दिलीप यादव पुत्र पंचम आयु लगभग 38 वर्ष,
9–बबलू पुत्र सुखलाल आयु लगभग 38 वर्ष,
10–सुरेश यादव पुत्र हरपाल आयु लगभग 40 वर्ष,
11–ओम प्रकाश पुत्र चन्द्रपाल आयु लगभग 50 वर्ष,
12–कुलदीप पुत्र ओम प्रकाश आयु लगभग 25 वर्ष,
13–राजेन्द्र पुत्र चन्द्रपाल आयु लगभग 40 वर्ष, विपक्षी संख्या 1 ता 13 समस्त निवासीगण गनेशखेड़ा, थाना निगोंहा, जनपद लखनऊ
14–चन्दन यादव सब इंस्पेक्टर थाना निगोंहा, लखनऊ।

दि0–03.08.2026

1– आवेदक जागेश्वर द्वारा बी0एन0एस0एस0 की धारा–173(4) के अन्तर्गत यह आवेदन थाने पर मुकदमा पंजीकृत किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– प्रार्थना पत्र में कथन है कि ''आवेदक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और अनुसूचित जाति (पासी) का है। विपक्षी अन्य पिछड़ी जातियों (यादव) से संबंधित हैं। दिनांक 07–03–2026 को रात लगभग 8:00 बजे, जब विपक्षी संख्या 1, 2 और 3 शिकायतकर्ता के दरवाजे के सामने शराब पी रहे थे। शिकायतकर्ता ने केवल इतना कहा कि मेरे दरवाजे के सामने शराब मत पियो और अपशब्दों का प्रयोग मत करो। इस छोटी सी बात से वे क्रोधित हो गए और उन्होंने शिकायतकर्ता से बहस करते हुए कहा, "अरे पासी, तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिली कि तुमने हमें शराब पीने से रोक दिया, अब हमें देखो, हम भी तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब करेंगे।" इसके बाद विपक्षी संख्या 1, 2 और 3 ने शिकायतकर्ता के दरवाजे पर पेशाब कर दिया। जब शिकायतकर्ता ने इसका कड़ा विरोध किया, तो उन सभी को बेरहमी से पीटा गया। अगले दिन यानी 08.03.2026 को सुबह लगभग 08:00 या 09:00 बजे जब शिकायतकर्ता डेयरी की दुकान से दूध देने वापस आया, तो सभी विपक्षी संख्या 1 ता 13 ने गैरकानूनी सभा बनाकर आवेदक पर बेरहमी से हमला किया और सभी विपक्षीगण संख्या 1 ता 13 का शिकायतकर्ता को जान से मारने का एक ही इरादा था और उन्होंने मिलकर कुल्हाड़ी से उसके सिर पर बेरहमी से वार किया, जिससे शिकायतकर्ता के सिर पर गंभीर चोट आई और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। विपक्षीगण संख्या 1 ता 13 ने जाति आधारित अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया। विपक्षी संख्या 1 ता 13 रात में

जबरन घर में घुस गए और उन्होंने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों पर हमला किया, संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और परिवार के सदस्यों को जिंदा जलाने की धमकी दी और उन्होंने लाठियों, ईंटों, पत्थरों और मुक्कों से पीटा, जिससे गंभीर चोटें आईं, और उनका इरादा स्पष्ट रूप से जान से मारने का था (धारा 109 बीएनएस)। विपक्षी संख्या 04 और 06 ने शिकायतकर्ता की छोटी बेटी शालिनी और उसकी पत्नी को चप्पलों से पीटा और उनके साथ छेड़छाड़ की तथा दोनों के साथ दुर्व्यवहार किया। इस घटना के तुरंत बाद परिवार के सदस्यों ने 112 नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और उसे चिकित्सा उपचार के लिए अपने साथ ले गई। आवेदक ने निगोंहा पुलिस स्टेशन से संपर्क किया, हालांकिः आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पुलिस ने लिखित शिकायत में हेरफेर किया और पूरे मामले को बीएनएस की धारा 189(5) के तहत बदल दिया। पुलिस ने गैरकानूनी सभा में शामिल दोनों पक्षों को शिकायतकर्ता के बेटे लवकुश के नाम से ही नोटिस जारी किया और आज तक कोई उचित कार्रवाई नहीं की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस से संपर्क किया, लेकिन पुलिस अधिकारी, विशेषकर सब–इंस्पेक्टर चंदन कुमार यादव, विपक्षी पार्टियों के साथ मिलीभगत कर रहे थे और जानबूझकर एफआईआर दर्ज नहीं की, क्योंकि विपक्षी पार्टियों में बहुत प्रभावशाली लोग हैं और राजनीतिक दलों में उनका काफी दबदबा है और वे सभी गुंडे किस्म के लोग हैं। शिकायतकर्ता और उसके बेटे लवकुश ने पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने के लिए संपर्क किया, लेकिन सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार यादव ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें एक रात के लिए पुलिस स्टेशन में अवैध रूप से हिरासत में रखा गया। पुलिस अधिकारियों ने शिकायतकर्ता पर हमला किया और उसे धमकी दी कि अगर शिकायत पर आगे कार्रवाई की गई तो झूठे मामले (हत्या सहित) दर्ज किए जाएंगे। यद्यपि पुलिस ने चिकित्सा परीक्षण कराया, फिर भी मामले को कमजोर करने के उद्देश्य से आवेदक को चिकित्सा रिपोर्ट की प्रति जानबूझकर उपलब्ध नहीं कराई गई। शिकायतकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों को जान और माल का लगातार खतरा है और विपक्षी पार्टियों संख्या 1, 2 और 3 ने धमकी दी है कि. जब भी उसका बेटा लवकुश उन्हें दिखाई देगा तो, वे उसे मार डालेंगे। जान की डर से उसका बेटा लवकुश घर में नहीं रहता। पुलिस अधिकारियों के कृत्य स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अपराधों के अंतर्गत आते हैंः धारा 199 बीएनएस (आधिकारिक कर्तव्य का दुरुपयोग), धारा 127(2) बीएनएस (अवैध हिरासत), धारा 351(2)(3) बीएनएस (आपराधिक धमकी)। आवेदक के पास इस माननीय न्यायालय में आने के अलावा कोई अन्य प्रभावी उपाय नहीं है। सभी अपराध संज्ञेय प्रकृति के हैं। अतः इस न्यायालय से अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन है किः–

1– निगोंहा पुलिस स्टेशन को निर्देश दिया जाए कि वह बीएनएस 2023 और एससी/एसटी अधिनियम सहित उपयुक्त धाराओं के तहत और संबंधित धाराओं के तहत पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे।

2–वरिष्ठ/स्वतंत्र एजेंसी द्वारा निष्पक्ष और तटस्थ जांच का निर्देश दिया जाए।

3–पुलिस को निर्देश दें कि वे आवेदक को मेडिकल रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध कराएं।

4–आवेदक और उसके परिवार के जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करें।

3– आवेदक ने अपने समर्थन में स्वंय का शपथपत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, थानाध्यक्ष, निगोंहा, पुलिस आयुक्त, लखनऊ, को प्रेषित पत्रों की छायाप्रतियां व ट्रैकिंग रिपोर्ट की छायाप्रति तथा चोटों के फोटोग्राफ, आघात आख्या जगेश्वर एवं लवकुश दिनांकित 08.03.2026 आदि प्रस्तुत किये हैं।

4– आवेदक के उक्त प्रार्थना पत्र पर संबंधित थाने से आख्या आहूत दी गयी तथा विपक्षी संख्या 14 जो लोक सेवक है, उन्हें अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी की गयी।

5– **थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार** विपक्षी दिलीप के पिता गंगाराम यादव पुत्र स्व० अर्जुन निवासी ग्राम गनेशीखेड़ा थाना निगोंहां जनपद लखनऊ के प्रार्थना पत्र की जाँच के क्रम में उ0नि0 श्री हर्ष वर्मा दिनांक 09.03.2026 की ग्राम

गनेशीखेड़ा गये थे। जहाँ आवेदक के पुत्र लवकुश व द्वितीय पक्ष के पुष्पेन्द्र पुत्र श्री गंगाराम निवासी उपरोक्त प्रार्थना पत्र देने को लेकर आपस में आमादा फसाद होने लगे थे। पुलिस बल द्वारा समझाने बुझाने का प्रयास किया व पर्यात चेतावनी दी गयी, परंतु नहीं माने और अधिक आक्रोशित होकर कुंठा प्रतिशोध की भावना से मरने मारने पर उतारू होने लगे तब हत्या बलवा जैसे संगीन अपराध की संभावना भापकर संज्ञेय अपराध के निवारण के उद्देश्य से तथा प्रत्येक दशा में लोक प्रशांति विक्षुब्ध होने से बचाने के लिये उ0नि0 श्री हर्ष वर्मा द्वारा उभय पक्षों का चलान अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस किया गया था। जिसका नकल रपट संलग्न आख्या है। प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के संबंध में थाना निगोंहा पर कोई अभियोग मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

6— **विपक्षी संख्या–14 एस0आई0 चन्दन यादव** द्वारा लिखित आपत्ति दाखिल करते हुए कथन किया गया है कि ''आवेदक निगोंहा पुलिस स्टेशन में जिम्मेदार सब–इंस्पेक्टर है। आवेदक एक ईमानदार और निष्ठावान पुलिस अधिकारी है और वह केवल इसी क्षमता में अपना कर्तव्य निभाता है। आवेदक को शिकायतकर्ता जागेश्वर से कोई लिखित शिकायत प्राप्त हुई थी। हालांकि, स्वर्गीय अर्जुन के पुत्र श्री गंगाराम द्वारा 9.3.2026 को दिए गए आवेदन पर मामले की जांच के दौरान एस.आई. हर्ष वर्मा द्वारा दोनों पक्षों के विरुद्ध की गई कार्रवाई रिकॉर्ड में दर्ज है। शिकायतकर्ता जगेश्वर और उनके पुत्र लवकुश ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए आवेदक से कभी संपर्क नहीं किया था, अतः आवेदक द्वारा आधिकारिक कर्तव्य का पालन न करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अवैध हिरासत का आरोप निराधार है और यह ईर्ष्यापूर्ण भावना से प्रेरित है क्योंकि एस. आई. हर्ष वर्मा ने 9.3.2026 को उन्हें गिरफ्तार किया था और उन पर धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत आरोप लगाए थे। निगोंहा पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता जागेश्वर के खिलाफ हत्या का कोई मामला दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा शिकायतकर्ता जागेश्वर या इस मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई घटना/दुर्घटना नहीं की गई है। आवेदक द्वारा किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध हत्या का प्रयास या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक ने इस मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को हिरासत में नहीं लिया है। 9.3.2026 को सब–इंस्पेक्टर हर्ष वर्मा द्वारा दोनों पक्षों के खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई थी। आवेदक 8.3.2026 और 9.3. 2026 को एसएचओ निगोंहा के साथ किसी अन्य कार्य में व्यस्त था। आवेदक का नाम धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत आवेदन को छोड़कर अन्य अधिकारियों को भेजे गए किसी भी आवेदन में उल्लिखित नहीं है। अतः निवेदन है कि शिकायतकर्ता द्वारा दुर्भावनापूर्ण इरादे से धारा 173(4) बीएनएसएस के अंतर्गत दायर की गई इस याचिका को आवेदक के संबंध में अस्वीकार कर दिया जाए।

7— विपक्षी संख्या 14 ने अपने समर्थन के समर्थन में एन0सी0आर0 संख्या 22/2026 दिनांकित 21.03.2026, जी0डी0 संख्या 27 दिनांकित 08.03.2026 समय 11.34 बजे, जी0डी0 संख्या 39 दिनांकित 09.03.2026 समय 14.51 बजे, जी0डी0 संख्या 55 दिनांकित 08.03.2026 समय 22.15 बजे, जी0डी0 संख्या 54 दिनांकित 09.03.2026 समय 21.35 बजे, परिचय पत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी हैं।

8— सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

9— एक लोक सेवक के संबंध में धारा 175(4) बी0एन0एस0एस0 एवं निर्णय विधि **ओम प्रकाश अम्बाडकर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य (2026)2 एस0सी0सी0 622** में यह व्यवस्था दी गयी है कि

''33. Sub- Section (4) of Section 175 BNSS is a new addition to the scheme of investigation of cognizable cases when compared with the scheme previously existing in Section 156 CrPC. It provides an additional safeguard to a public servant against whom an accusation of committing a cognizable offence arising in the course of discharge of his official duty it

made. The provision stipulates that any Magistrate who is empowered to take cognizance under Section 210 BNSS may order investigation against a public servant upon receiving a complaint arising in course of his discharge of his official duty. Only after complying with **the following procedure:**

(a) Receiving a report containing facts and circumstances of the incident from the officer superior to the accused public servant; and

(b) Considering the assertions made by the accused public servant as regards the situation that led to the occurrence of the alleged incident."

10— इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोक सेवक के विरूद्ध धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 के तहत आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित लोक सेवक एवं उसके वरिष्ठ (Superior) से कथित घटना के तथ्य एवं परिस्थितियों के बाबत आख्या मांगी जायेगी। साथ ही संबंधित लोक सेवक के पक्ष कथन को भी ध्यान में रख कर आदेश पारित किया जायेगा। उक्त परिप्रेक्ष्य में थानाध्यक्ष, निगोंहा व पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी, लखनऊ से विपक्षी संख्या 14 की भूमिका के संबंध एवं संदर्भ में आख्या आहूत की गयी।

11— जिस पर **थानाध्यक्ष, निगोंहा, लखनऊ** द्वारा यह आख्या दी गयी कि ''उपरोक्त समस्त जांच, उपलब्ध अभिलेखों, सरकारी दस्तावेजों, पूछतांछ एवं गोपनीय जानकारी के आधार पर उ0नि0 चंदन कुमार यादव के विरूद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई तथा आरोपों के समर्थन में कोई विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ।''

12— **पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी, लखनऊ** द्वारा यह आख्या दी गयी कि ''आवेदक जागेश्वर प्रसाद उपरोक्त के द्वारा अपने शिकायती प्रार्थना पत्र में उल्लेखित आरोप कि सब–इंस्पेक्टर चंदन कुमार यादव विरोधी पक्ष के साथ मिलकर जानबूझकर एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं की, क्योंकि विरोधी पक्ष के लोग बहुत ताकतवर हैं, राजनीतिक पार्टियों में उनकी अच्छी पहुँच है और वे सभी गुंडा किस्म के लोग हैं। शिकायतकर्ता और उसका बेटा लवकुश एफ0आई0आर0 दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गए, लेकिन सब–इंस्पेक्टर चंदन कुमार यादव ने एफ0आई0आर0 दर्ज करने से इनकार कर दिया और उन्हें एक रात के लिए गैर–कानूनी तरीके से पुलिस स्टेशन में हिरासत में रखे जाने के सम्बन्ध में तमामी जाँच, सरकारी दस्तावेजों का अवलोकन, पुछतांछ, गोपनीय जानकारी से प्रकरण में उ0नि0 चंदन कुमार के उपर लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हो रही है। सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज की आख्या मूल रुप में संलग्न कर सादर अवलोकनार्य प्रेषित है।''

13— हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी जगेश्वर द्वारा जिस घटना दिनांक 07.03.2026 एवं दिनांक 08.03.2026 के बावत प्राथिमिकी दर्ज कराये जाने की याचना की गयी है, उक्त अपराध में विपक्षी संख्या 14 एस0आई0, चन्दन यादव की कोई संलिप्तता नहीं है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थिति में विपक्षी संख्या 14 के संबंध में मात्र यह आक्षेप लगाया गया ह कि उनके द्वारा उपरोक्त दिनांक को घटित घटना की प्राथिमिकी दर्ज करने से इंकार किया गया, प्रार्थी को अवैध हिरासत में रखा गया एवं धमकी दी गयी। जिससे विपक्षी संख्या 14 द्वाराइंकार किया गया है एवं दिनांक 08.03.2026 को थानाध्यक्ष, निगोंहा के साथ अन्य कार्य में व्यस्त रहने का कथन करते हुए उक्त दिनांक की जी0डी0 प्रस्तुत की गयी है। हस्तगत प्रकरण की विशिष्ट परिस्थितियों के दृष्टिगत जबकि अभिलेख पर प्रार्थी व उसके पुत्र लवकुश की आघात आख्या दिनांकित 08.03.2026 अभिलेख पर है। इन परिस्थितियों में यदि प्रार्थी की प्राथिमिकी दर्ज नहीं करी जाती है तो यह प्रार्थी के प्रति अन्यायपूर्ण होगा। वहीं दूसरी ओर यदि विपक्षी संख्या 14, जो कि एक लोक सेवक है, की मुख्य अपराध में संलिप्तता न होने के बावजूद उनके विरूद्ध

प्राथिमिकी दर्ज कर ली जाती है तो यह भी अन्यायपूर्ण होगा और न्यायिक मंशा को परिपूर्ण नहीं करेगा। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के तथ्यों पर विचार करते हुए विपक्षी संख्या 1 ता 13 के विरूद्ध संदर्भ में संज्ञेय अपराध कारित किये जाने के दृष्टिगत मात्र उनके विरूद्ध प्राथिमिकी दर्ज कराया जाना न्यायोचित होगा।

14— उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विपक्षी संख्या 14 चन्दन यादव की मुख्य अपराध में संलिप्तता दर्शित नहीं है और प्राथिमिकी दर्ज न करने व अवैध हिरासत में रखने, धमकी देने इत्यादि के कथनों की पुष्टि इस स्तर पर नहीं होती है। जहां तक अन्यविपक्षीगण संख्या 1 ता 13 का प्रश्न तो आवेदक द्वारा प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों, आघात आख्या आदि प्रपत्रोंसे विपक्षीगण संख्या 1 ता 13 द्वारा संज्ञेय अपराध का गठित होना परिलक्षित हो रहा है। अतः उक्त विपक्षीगण संख्या 1 ता 13 के संबंध में प्रार्थी जगेश्वर का प्रार्थना पत्र अतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

15— प्रार्थी जगेश्वर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा— 173(4) बी0एन0एस0एस0 विपक्षी संख्या 1 ता 13 के संबंध में स्वीकार किया जाता है। सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किया जाता है कि नियम 5 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम, 1995 का अनुपालन करने हुए, प्रार्थनापत्र के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिनुसार विवेचना करना सुनिश्चित करें और प्राथमिकी की प्रति 24 घन्टे के भीतर न्यायालय में प्रेषित करें। आदेश की प्रति पुलिस उपायुक्त, दक्षिणी, लखनऊ को इस प्रकरण में कार्यवाही के बावत प्रेषित किया जाए।

दिनांक 03.08.2026

(नीतू पाठक)
विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट
लखनऊ।

Digitally signed by Neetu pathak
Date: 2026.08.05 18:52:34 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court